

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
30/01/2026 20:47 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 16/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 30/01/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2026 **Time (समय):** 20:23 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/01/2026 20:23 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** रायपुर रानी जिला पंचकुला 1,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP RAKESH KUMAR CP 26

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 13/12/1979 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SV AND ACB PANCHKULA, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SV AND ACB PANCHKULA, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9467813225

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विक्रम सिंगला तहसीलदार रायपुर रानी			1. रायपुर रानी, जिला पंचकुला, RAIPUR RANI, PANCHKULA, HARYANA, I NDIA
2	बलदेव कौर		Husband's Name: मलकीत सिंह	1. मौजा शाहपुर, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,
प्रबन्धक अफसर,
थाना, राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आसूचना रिपोर्ट नं. 1 दिनांक 29.01.2026 के अनुसार पाया गया है कि विश्वसनीय एवं गोपनीय सूत्रों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पलर्स ग्रुप की भूमि को जांच एजेसियों द्वारा अटैच (Attach) किया गया था तथा उक्त अटैच की गई भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की Transaction किये जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा रोक (Stay) भी लगाई गई थी ।

इस ग्रुप की अटैच की गई भूमि का कुछ हिस्सा गांव शाहपुर, तहसील रायपुर रानी, जिला पंचकूला में स्थित था । इस भूमि के अटैच किए जाने के संबंध में सी.बी.आई द्वारा भेजे गए पत्रों के अनुसार रपट संख्या 173 दिनांक 30/10/2016 तथा रपट संख्या 110 दिनांक 25/10/2019 तहसील रायपुर रानी के राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज की गई थीं । तहसीलदार रायपुर रानी, श्री विक्रम सिंगला, उपरोक्त रपटों से भली-भांति अवगत थे तथा यह जानते थे कि जांच एजेसियों द्वारा अटैच की गई उक्त भूमि को किसी भी स्थिति में न तो बेचा जा सकता है और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है ।

इस संबंध में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री विक्रम सिंगला, तहसीलदार रायपुर रानी, जिला पंचकूला द्वारा भ्रष्ट आचरण में लिस होकर तथा भूमि-मालिकों से मिलीभगत करते हुए 141 कनाल 08 मरले 07 सरसाही भूमि (किस्म चाही), वाका मौजा शाहपुर, हदबस्त नंबर 210, तहसील रायपुर रानी, जिला पंचकूला को प्रलेख संख्या 1109 दिनांक 16/10/2025 के माध्यम से नवीन पुत्र श्री देवेन्द्र, पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी ग्राम बडाला, जिला भिवानी के नाम पंजीकृत कर दिया गया ।

यह पंजीकरण समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी जानबूझकर किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री विक्रम सिंगला तहसीलदार द्वारा सरकारी आदेशों, जांच एजेसियों की अटैच की कार्यवाही तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए भूमि मालिक बलदेव कौर पत्नी मलकीत सिंह के साथ मिलीभगत करके गंभीर भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे विक्रम सिंगला व अन्य व्यक्तियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ है व सरकार तथा निवेशकों को अवैध हानि हुई है । उपरोक्त तथ्यों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में श्री विक्रम सिंगला उपरोक्त का यह कृत्य भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 संशोधित वर्ष 2018 की धारा 7 Explanation 2 (i) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का होना पाया जाने पर विक्रम सिंगला, तहसीलदार उपरोक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 संशोधित वर्ष 2018 की धारा 17 ए के तहत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा गया था जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 62/08/2026-4VII दिनांक 30.01.2026 व पुलिस महानिदेशक, रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 1914/आई-1/एस.वी.एण्ड ए.सी.बी. (ह.) दिनांक 30.01.2026 के अनुसार विक्रम सिंगला, तहसीलदार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 17-ए पी.सी. एक्ट के तहत अनुमति प्रदान की गई है । इसलिए विक्रम सिंगला, तहसीलदार रायपुर रानी, जिला पंचकूला व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त कानूनी धाराओं के तहत अभियोग अंकित करने हेतु लेख तैयार करके आपकी सेवा में भेजा जा रहा है । जांच के दौरान अन्य जिन भी व्यक्ति/व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आएगी उनके विरुद्ध भी विधिपूर्वक कार्यवाही की जाए । जिस पर अभियोग अंकित करने प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल जज पंचकूला व उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाएं । अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अन्वेषण हेतु अन्य अन्वेषणकर्ता अधिकारी के हवाले की जाए ।

अज: थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला ।

SD RAKESH KUMAR

(राकेश कुमार)

निरीक्षक / अन्वेषणकर्ता अधिकारी,

थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

सैक्टर-17, पंचकूला ।

30.01.2026

समय 8.15 pm

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 03 दिनांक 30.01.2026 धारा 7 r/w Explanation 2 (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): rakesh Rank (पद): I (Inspector)
kumar
No. (सं.): 101pkl to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Ganga Ram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): 1

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

